Need to check harassment of people by money lenders ? laid

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): अदालतो में चेक अनादरण के मामले लगातार बढ़ रहे है, इनमें से अधिकांश मामले इस प्रकार के है कि किसी ने जरूरत के समय पैसा उधार लिया परन्तु अधिक ब्याज के कारण पैसे लौटाए नही जा सकते इसलिए चेक में मनमानी राशि भरकर गैरकानूनी तरीके से पैसे उधार देने वाले लोग खाली चेक गारन्टी के तौर पर लेते है और आगे इसका डर दिखाकर गरीब का शोषण करते है। इसलिए इस विषय पर जल्द ही प्रभावी कानून बनाना जरूरी है यथा यदि इसमें बीस हजार से अधिक उधार दिये है तो वह बैंक के माध्यम से दिये गये हो एवं यह राशि इनकम टेक्स रिटर्न में दर्शा रखी हो । चेक अनादरण प्रकरण में परिवादी से कुछ हिस्सा राशि भी कोर्ट जमा करे यह भी देखा जाए कि प्रकरण दर्ज कराने वाले के पास ब्याज का धंधा करने का लाईसेंस है भी या नहीं? इससे आम आदमी को तो सुरक्षा मिलेगी ही मनमाने ब्याज वसूली और इसके कारण हो रहे शोषण पर भी लगाम लगेगी, कोर्ट का समय भी व्यर्थ नही होगा।